

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 960
29.07.2024 को उत्तर के लिए

यमुना नदी में प्रदूषण

960. श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली में यमुना नदी का पानी और अधिक प्रदूषित हो गया है तथा जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात् बीओडी का स्तर 85 तक पहुंच गया है; और
- (ख) क्या सरकार ने प्रदूषण के उक्त खतरनाक स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि प्रदूषण जलीय जीवन के लिए भी जहरीला हो गया है, जिससे लाखों मछलियां मर गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): यमुना नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी), जिसमें दिल्ली के लिए दिल्ली पीसीसी भी आती है, के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के द्वारा की जाती है। वर्ष 2019 और 2022 में अभिज्ञात किए गए यमुना नदी के प्रदूषित नदी क्षेत्र (पीआरएस) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	डेटा अवधि	अभिज्ञात प्रदूषित नदी क्षेत्र	बीओडी मूल्य	प्राथमिकता क्षेत्र
2018	2016 और 2017	वजीराबाद से असगरपुर	80.0	।
2022	2019 और 2021	पल्ला से ओखला डी/एस	83.0	।

दिल्ली में वर्ष 2023 के दौरान एनडब्ल्यूएमपी के तहत यमुना नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी संबंधी डेटा अन्नबुध-1 में दिया गया है। डीपीसीसी द्वारा एनडब्ल्यूएमपी के तहत वर्तमान आकलन के दौरान असगरपुर में (शहादरा नाले और तुगलकाबाद नाले के मिलने के बाद) वर्ष 2023 में बीओडी की

सांद्रता 56 एमजी प्रति लीटर पाई गई, जो वर्ष 2018 और 2022 में पाई गई बीओडी की तुलना में कमी दर्शाती है।

(ख): यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

- i. भारत सरकार ने नदियों के जल की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए नदी कार्य योजनाएँ बनाई हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से शहरी केंद्रों, जो पूरे मलजल शोधन कार्य को पर्याप्त रूप से संभालने में सक्षम नहीं हैं; के नगरपालिका अपशिष्ट जल को रोकने, दूसरी दिशा में मोड़ने और उसे शोधित करने के लिए नदी कार्य योजनाएं आरंभ की गई हैं।
- ii. केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जलीय संसाधनों के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, दोनों के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं।
- iii. पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए सामान्य मानक - बहिस्राव (भाग क) और अपशिष्ट जल सृजन निस्सरण मानक (भाग ख) को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित किया गया है।
- iv. औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र के तहत संबंधित जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- v. सीपीसीबी ने सभी 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषण की संभावना वाले उद्योगों, गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों और साझा अपशिष्ट शोधन केन्द्रों को स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करने और प्रभावी अनुपालन तथा प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत बहिस्राव / उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निदेश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्पन्न उद्योग बहिस्राव और उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रदूषकों के रियल टाइम मान को सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को संसाधित करता है और यदि प्रदूषक पैरामीटर का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट उत्पन्न होता है और इसे औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है ताकि ऐसे उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।
- vi. सीपीसीबी समय-समय पर ई (पी) नियम, 1986 के तहत अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार सीवेज और अपशिष्ट जल के प्रबंधन और मौजूदा एसटीपी, सीईटीपी और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सभी संबंधित विभागों को, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(ख) के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी कर रहा है। यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हाल के वर्षों में सीपीसीबी द्वारा जारी निदेशों/दिशानिदेशों, का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेश की तिथि	जारी निदेश	जारी किए गए
1	19.01.2023	मोलासेस आधारित आसवनियों में शून्य तरल निस्सरण (जेडएलडी) सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करना।	सभी एसपीसीबी/पीसीसी।
2	02.01.2023	दिल्ली और हरियाणा में स्थित सीईटीपी का विस्तार और उन्नयन तथा सीईटीपी द्वारा ओसीईएमएस डेटा का प्रदर्शन।	डीपीसीसी और एचएसपीसीबी
3	02.01.2023	यमुना नदी में औद्योगिक अमोनिया निस्सरण।	डीपीसीसी और एचएसपीसीबी
4	02.03.2022	मेसर्स सीईटीपी, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, दिल्ली-110083 की गैर-अनुपालन स्थिति।	डीपीसीसी
5	23.02.2022	मेसर्स सीईटीपी, लॉरेस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, रिंग रोड, दिल्ली- 110035 द्वारा गैर-अनुपालन।	डीपीसीसी
6	23.12.2021	यमुना नदी में औद्योगिक अमोनिया निस्सरण के संबंध में।	एचएसपीसीबी और डीपीसीसी
7	06.12.2021	यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के मामले में।	यूपीपीसीबी, डीपीसीसी और एचएसपीसीबी
8	24.09.2021	शाहदरा नाले के जलग्रहण क्षेत्र में उत्पन्न घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल का 100% संग्रहण एवं शोधन सुनिश्चित करना	डीपीसीसी
9	11.03.2021	जीपीआई द्वारा ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना और कनेक्टिविटी के लिए।	एचएसपीसीबी, डीपीसीसी और यूपीपीसीबी
10	15.02.2021	एसटीपी निगरानी मोबाइल के लिए आधारित एप्लिकेशन का व्यापक उपयोग।	सभी एसपीसीबी/पीसीसी।

वर्ष 2023 के दौरान दिल्ली में एनडब्ल्यूएमपी के तहत निगरानी किए गए यमुना नदी के जल गुणवत्ता संबंधी डेटा का ब्यौरा

एसटीएन कोड	निगरानी स्थान का नाम	वर्ष	घुलित ऑक्सीजन (मिलीग्राम/लीटर)		पीएच		बीओडी (मिलीग्राम/लीटर)		फेकल कोलीफॉर्म (एमपीएन/100 एमएल)		कुल कोलीफॉर्म (एमपीएन/100 एमएल)	
			न्यून तम	अधिकतम	न्यून तम	अधिक तम	न्यून तम	अधिक तम	न्यून तम	अधिक तम	न्यून तम	अधिक तम
आउटडोर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड			> 5 मिलीग्राम/लीटर		6.5-8.5		< 3 मिलीग्राम/लीटर		< 2500 एमपीएन/100 एमएल		-	
1120	पल्ला में यमुना नदी	2023	6.3	11.3	7.1	7.5	1.0	3.0	180	560	-	-
5098	वजीराबाद में यमुना नदी	2023	4.0	8.2	7.2	7.5	4.0	9.8	200	5500	-	-
1121	निजामुद्दीन में यमुना नदी	2023	0.3	2.5	7.1	7.5	26.0	48.0	9300	3100 0	-	-
5099	आईएसबीटी पुल के नीचे यमुना नदी	2023	0.3	3.0	7.1	7.5	22.0	46.0	5500	1000 00	1700 0	1700 0
5100	आईटीओ ब्रिज के नीचे यमुना नदी	2023	0.3	4.1	7.2	7.5	18.0	38.0	6100	8100 0	-	-
1375	ओखला बैराज पर यमुना नदी (डी/एस)	2023	0.3	1.8	7.1	8.0	30.0	50.0	1200 00	3800 00	-	-
1812	असगरपुर में यमुना नदी (शाहदरा नाला और तुगलकाबाद नाले के मिलने के बाद)	2023	0.3	1.1	6.8	7.7	35.0	56.0	1700 00	4700 00	-	-